रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 1984/अग्रहायण 3, 1906
No. 172] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 24, 1984/AGRAHAYANA 3, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1984

सार्वजनिक सूचना सं. 29-ई टी सी (पी.एन.)/84

विषय : सिल्क नायल और नायल ब्लेंडिंग्स की निर्यात नीति ।

मिसिल सं. 2/16/84-ई-1.—सार्वजनिक सूचना सं. 6-ई टी सी (पी एन)/84, दिनांक 23 फरवरी, 1984 के पैरा 3 और सिल्क नायल्स और नायल ब्लेंडिंग्स से सम्बन्धित आयात-निर्यात नीति (खण्ड-2), 1984-85 में नीति विवरण की क्रम सं. 62(3) की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. सिल्क नायल्स और नायल ड्राफिंग्स के निर्यात के लिए आवेदन पत्रों पर उसी प्रकार विचार किया जाता रहेगा जैसे अब तक किया जाता रहा है । जिन निर्यातकों ने सरकारी स्पन सिल्क मिलों में से किसी मिल से सिल्क नायल्स प्राप्त किए हैं, उन्हें सिल्क नायल्स और नायल ड्राफिंग्स के निर्यात के लिए आवेदन पत्र के साथ मिल से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि मिल ने सिल्क नायल्स संभरित किए हैं लेकिन, जो सिल्क नायल्स और नायल ड्राफिंग्स प्राइवेट स्पन सिल्क मिलों के उप-उत्पाद हैं और उन्हीं के द्वारा निर्यात किए जाते हैं, उनके लिए ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि ऐसे मामलों में निर्यातकों को केन्द्रीय सिल्क बोर्ड से गुणावगुणों के आधार पर विचार करने हेतु यह प्रमाणपत्र देना अपेक्षित है कि निर्यात के लिए इच्छित सिल्क नायल्स और नायल ड्राफिंग्स प्राइवेट स्पन सिल्क मिल के उप-उत्पाद हैं ।

पी. सी. जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th November, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 29-ETC(PN)/84

Subject :—Export Policy of Silk Noils and Noil Droppings.

File No. 2/16/84-E.I.—Attention is invited to para 3 of Public Notice No. 6-ETC(PN)/84 dated 23rd February, 1984, and to S. No. 62(iii) of Policy Statement in the Import and Export Policy (Vol. II), 1984-85 relating to Silk Noils and Noil Droppings.

2. Requests for export of Silk Noils and Noil Droppings will continue to be considered on merits as hitherto. In respect of exporters who obtain Silk Noils from any one of the Government Spun Silk Mills a certificate from the Mills for having supplied Silk Noils, should be submitted alongwith the application for export of Silk Noils and Noil Droppings. Such a certificate will, however, not be required for Silk Noils and Noil Droppings which are bye-products of private Spun Silk Mills and are to be exported by them. However, in such cases, the exporters are required to furnish a certificate from the Central Silk Board that the silk noils and noil droppings intended for export are bye-products of the private spun silk mill, for consideration on merits.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984